यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल** के माह 05/2016 से माह 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो: सलीम खान, वरिष्ट लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.04.2016 से 07.05.2016 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से माह 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी **बीमारी**, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट **आवंटन** एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:–

(धनराशि` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	439.21	391.01	48.20	3216.92	3215.15	1.77
2016-17	Nil	Nil	360.05	335.66	24.39	4786.39	4329.96	456.43
2017-18 (12/17)	Nil	Nil	193.99	136.05	57.94	3768.94	2221.15	1547.79

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि` लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी)	Nil	515.85	515.85	--	693.35	658.86
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	45.49	45.49	--	448.07	358.31
अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	47.03	47.03	--	88.07	42.11
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	31.29	31.29	--	81.10	4.60

(अ) इकाई को बजट आवंटन **निदेशक, समाज कल्याण** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए **इकाई** ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(ब)लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः– लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त, आरक्षित श्रेणी के लोगों को बिभिन्न योजनाओ के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का **वश्लेषण** किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग – दो (ब)

प्रस्तर 1:- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कार्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 में धनराशि ₹ 39.20 लाख का अदेय भुगतान। ।

केंद्र पोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना (NSAP) के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशानिर्देशानुसार परिवार के मुख्य जिविकोपार्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष के भीतर हो, मृत्यु होने पर आश्रितों को एकमुश्त धनराशि ₹ 20,000/- की सहायता प्रदान किया जाता है। साथ में दिशानिर्देश के Chapter – II के Para – 2.2 में यह भी कहा गया है की "The assistance under the sub-scheme of NSAP are applicable only for persons belonging to Below Poverty Line (BPL) category".

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया की वर्ष 2016-17 में कार्यालय को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में कुल धनराशि ₹ 52.40 लाख आबंटित हुआ था जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा कुल 262 लाभार्थियो को भुगतानित कर लाभान्वित किया गया था जिसमे 6 विकासखंड के 196 लाभार्थियो को आय के आधार पर प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष योजना का लाभ प्रदान करते हुए धनराशि ₹ 39.20 लाख का भुगतान किया गया था जो की अदेय था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा भारत सरकार के दिशानिर्देश का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2016-17 में भुगतानित कुल लाभार्थी सं 262 में से 196 अपात्र लाभार्थी को बिना बी. पी. एल के आधार पर भुगतानित किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगति किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की पूर्व वर्षो में आय के आधार पर लाभ प्रदान किया जा रहा था, इस कारण वर्ष 2016-17 में भी आय के आधार पर भुगतान किया गया।

अतः राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बिना बी. पी. एल. लाभार्थियो को कार्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 में केवल आय के आधार पर धनराशि ₹ 39.20 लाख का अदेय भुगतान का प्रकरण उच्चधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2: वर्ष 2016-17 में कार्यालय द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में लाभार्थी को धनराशि ₹ 0.45 लाख का अधिक भुगतान ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नबिनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी । सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूची में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा । सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी । जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा बिलम्ब के लिए सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा ।

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखंड के पत्र दिनांक जून 2015 के अनुसार पंचकर्म कोर्स हेतु प्रवेश के लिए 10+2 (विज्ञानं वर्ग) उत्तीर्ण छात्र मेरिट के अनुसार प्रवेश की अधिकार प्राप्त कर सकते है साथ ही उक्त कोर्स हेतु शिक्षण शुल्क ₹ 45,000/- प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है ।

भारत सरकार के छात्रवृत्ति सम्बंधित दिशानिर्देश दिनांक 07/2010 के अनुसार कोई भी कोर्स जिसमे प्रवेशाधिकार Senior Secondary Certificate (10+2) हो, Maintenance Allowance का दर Group IV के अनुसार Hosteller – 380 एवं Day Scholar – 230 प्रति माह के दर से भुगतान किया जायेगा ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल के वर्ष 2016-17 के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की Uttarakhand Ayurvedic College के 15 लाभार्थियो (5 – पंचकर्म एवं 10 – भेषज कल्पक) को कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति की भुगतान किया गया था जिसमे प्रति लाभार्थियो को छात्रवृत्ति के रूप में कुल धनराशि ₹ 50,300/- के दर से भुगतान किया गया था ।

Course	Approved Tuition fees	Approved Maintenance allowance	Total	Scholarship paid to beneficiary	Excess paid
Panchkarm	45000	2300	47300	50300	3000
bhesaj kalpak					

उपरोक्त से यह पाया गया की Uttarakhand Ayurvedic College के 15 लाभार्थियो को कार्यालय द्वारा धनराशि ₹ 45,000 (15 x 3000) का अधिक भुगतान किया गया था ।

लेखापरीक्षा के दौरान उपरोक्त विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की कार्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रवृत्ति भुगतान हेतु केवल शिक्षण शुल्क की दर तथा वर्ष की अबधि अंकित की जाति है तदनुसार बिल जेनेरेट कर भुगतान किया जाता है एवं इस प्रकरण को पुनः जाँच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान में जाकर भौतिक सत्यापन के समय भिन्न भिन्न कोर्स हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए था जिसके आधार पर कार्यालय द्वारा भुगतान प्रक्रिया किया जाना था। जब शिक्षण शुल्क को कार्यालय द्वारा पोर्टल में अंकित किया जाता है तो यह कार्यालय की उदासीनता दर्शाता है की प्रति लाभार्थी को धनराशि ₹ 3000 का अधिक भुगतान किया गया था।

अतः वर्ष 2016-17 में कार्यालय द्वारा 15 लाभार्थियो को धनराशि ₹ 45,000 की अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकरियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – दो (ब)

प्रस्तर 3: शासनादेश का उल्लंघन कर वर्ष 2016-17 में कार्यालय द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में बैंक के माध्यम से धनराशि ₹ 31.65 लाख का भुगतान। ।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित दिशानिर्देश दिनांक 01-07-2010 के भुगतान सम्बंधित प्रस्तर में यह निर्देश दिया गया था की In order to ensure timely payment of scholarship amount to the beneficiaries, the State Government/UT administrations are requested to avoid cash payment of scholarship amount and are required to issue instruction to all concerned that payment of scholarship should be made to beneficiaries through their account in post offices/banks.

उपरोक्त के सापेक्ष उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 11/2014 के बिंदु सं 14 में बताया गया है की --- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बंधित संस्थान द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के उपरांत ई-बिल तथा पात्र छात्र के नाम एवं सी. बी. एस खातों का विवरण सहित कोषाधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे । सम्बंधित कोषाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान सीधे सम्बंधित छात्र के सी. बी. एस खाते में सुनिश्चित किया जायेगा ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल के वर्ष 2016-17 के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया की उस वर्ष अनु जनजाति छात्रवृत्ति मद में धनराशि ₹ 31,64,652=00 की आहरण कोषागार से किया गया था पर छात्रवृत्ति की भुगतान शासनादेश के अनुसार कोषागार के माध्यम से न करते हुए भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया था जिसकी विवरण निम्नरूप है :-

मद	बैंक का नाम	लाभार्थी सं	धनराशि
अनु: जनजाति	Allahabad	6	42300
	Almora Urban Co-op.bank	1	5300
	Bank of Baroda	42	571100
	Bank of India	3	32974
	Central Bank of India	49	236760
	Corporation Bank	1	3800
	Oriental Bank of Commerce	2	45960
	Punjab & Sind Bank	1	2300
	PNB	125	741360
	SBI	34	897498
	Nainital Bank	65	268000
	Uttarakhand Gramin Bank	1	3800
	SBI	70	313500
		400	**31,64,652**

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की उक्त समय में पोर्टल पर ऑनलाइन बिल तकनीकी कारणों से नही बनने के कारण ऑफ लाइन धनराशि का आहरण कर लाभार्थियो के खातें में स्थानांतरित की गई । उत्तर मान्य नही है कारण इकाई द्वारा किये गए कार्य दिशानिर्देशो का उल्लंघन दर्शाता है ।

अतः वर्ष 2016-17 में अनु: जनजाति छात्रवृत्ति मद में धनराशि ₹ 31.65 लाख की आहरण कोषागार से कर लाभार्थियो को कार्यालय द्वारा संचालित बैंक के माध्यम से भुगतान करने का प्रकरण जो की दिशानिर्देशो का उल्लंघन है को उच्चधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो ब

प्रस्तर 4:– भू म की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही रू 10.00 लाख अवरूद्व रखना ।

शासनादेश संख्या 645/XVII4/2015–01(4/2015–01(28/2015 दिनॉक 31 मार्च 2015 के अनुपालन में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद में रु0 503.00 लाख का आवंटन 45 कार्यो के निर्माण के लिए प्रदान किया गया था। इन कार्यो में बारात घर, सी0 सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शामिल थे। **शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि भूमि की उपलब्धता एवं योजना के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही राशि का आहरण किया जायेगा।**

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल (भीमताल) के अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत कार्यो के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि स्वीकृत कार्य में से 01 बरातघर ऐसे थें जिसकी **भू म** की उपलब्धता न होने के कारण सम्प्रेक्षा अवधि (12/2017) तक प्रारम्भ नही किया जा सका है। कार्यदायी संस्था को रू 10.00 लाख की धनराशि 03/2016 को अवमुक्त की जा चूकी है। कार्ये का विवरण निम्न हैं।

धनराशि लाखोमें

क्रम सख्यॉ	**योजना का विवरण**	**स्वीकृत धनराशि**	**आवटनं धनराशि**	**भोतिक प्रगति**
01	ग्राम भूमियाधार के तो खूपी में बारातधर का निर्माण	10.00	10.00	भूमि उपलब्ध नही है
	योग		**10.00**	

भूमि उपलब्ध न होने की दशा में शासनादेश के अनुसार धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नही किया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन विभाग द्वारा नही किया गया जिसके फलस्वरूप विगत 21 माह (सम्प्रेक्षा अविध 12/17 तक) से धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्व पडी है। कार्य समयान्तर्गत पूर्ण न होने के फलस्वरूप योजना का उदेश्य भी पूर्णत: विफल रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि वर्तमान में भी **भू म** विवाद होने के कारण कार्यदायी संस्था से धनराशि वापस करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि भूमि की उपलब्धता एवं योजना के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही राशि का आहरण किया जायेगा। जबकि इकाई द्वारा बिना भूमि की उपलब्धता सूनिश्चित किये धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया जो विगत 21 माह से अवरूद्व पड़ी है।

अतः **भू म** की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही रू 10.00 लाख अवरूद्व रखना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग – 2 (ब)</u>

प्रस्तर 5: शासन द्वारा शुल्क निर्धारित न होने के उपरांत भी कार्यालय द्वारा बी. टेक कोर्स हेतु 07 लाभार्थियो को धनराशि ₹ 5.60 लाख का अनियमित भुगतान ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नबिनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी । सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूची में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा । सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी । जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा बिलम्ब के लिए सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे । इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा ।

कार्यालय के अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया है की Birla Institute of Applied Sciences, Bhimtal के 07 B. Tech के लाभार्थियो को धनराशि ₹ 80,000/- के दर से प्रति लाभार्थी को भुगतानित किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान इस कोर्स हेतु शासन द्वारा शुल्क निर्धारण की साक्ष्य उपलब्ध न होने पर इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की वर्त्तमान में कार्यालय में निर्धारित कोर्स की शुल्क निर्धारण की प्रति उपलब्ध नही है पर शिक्षण संस्थान से मांग कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी ।

उपरोक्त से यह पाया गया की शिक्षण शुल्क निर्धारण की जाँच किये बिना कार्यालय द्वारा Birla Institute of Applied Sciences, Bhimtal के 07 B. Tech के लाभार्थियो को ₹ 80,000 के दर से छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 2016-17 में कुल धनराशि ₹ 5,60,000/- का भुगतान किया गया था जो की अनियमित है ।

अतः शिक्षण शुल्क निर्धारित न होने पर भी लाभार्थियो को छात्रवृत्ति के रूप में धनराशि ₹ 5,60,000/- का अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 6: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 1.57 लाख का व्यय किया जाना।

ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देश के नियम 7 के अनुसार वर्ष के दौरान कुल व्यय के तीन प्रतिशत तक प्रशासनिक मदों पर व्यय निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकता है। योजनान्तर्गत अन्य व्यय मदों में निम्न पर व्यय किया जाना अनुमन्य है; पेंशन कार्ड, आवेदन पत्र की छपाई एवं वितरण, विकलांग पेंशन लाभार्थी के प्रमाण पत्र के लिए कैम्प के आयोजन, सूचना, शिक्षा एवं प्रचार के लिए कार्य, नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास के कार्मिकों आदि के प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध सूचना तंत्र मदों पर व्यय आदि। इस मद में वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय, वाहन क्रय एवं मरम्मत, निर्माण कार्य आदि मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में किये व्यय सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई को उक्त अवधि में रु0 13.00 लाख की धनराशि अन्य व्यय मद में आवंटन प्राप्त हुआ तथा उक्त अवधि में धनराशि रु0 11.50 लाख का व्यय किया गया था। आगे अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत गैर अनुमन्य मदों जैसे डाक टिकट, मानदेय एवं डीजल क्रय आदि मदों पर व्यय किया गया था। उपरोक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार धनराशि रु0 1.57 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किया गया था। विवरण निम्नवत् है;

क्र.सं.	मद	क्रय/भुगतान का दिनांक	धनराशि
1	डाक टिकट	05.02.2016	20000
2	डाक टिकट	17.12.2016	10000
3	संविदा वेतन	17.01.2017	49710
4	डीजल क्रय	06.02.2017	3000
5	डीजल क्रय	06.02.2017	57214
6	वाहन चालक मानदेय	10.02.2017	9000
7	डाक टिकट	23.03.2017	8000
	कुल योग		**156924**

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि कार्यालय अन्य व्यय मद में कम बजट आवंटन होने के कारण इस मद से व्यय किया गया है जो कि कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक मदों पर ही व्यय है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में इन मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं था।

अतः राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 1.57 लाख का व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:– गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत 627 लाभार्थियों को रू 307.75 लाख का भुगतान न किया जाना।

गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21206/– शहरी क्षेत्र से अधिक न हो। योजना के अन्तर्गत चयनित प्रति छात्रा को रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ डी आर बनाये जाने हेतु छात्राओं के खातें में ऑनलाईन धनराशि स्थान्तरित कर दी जायेगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल (भीमताल) के अनुसूचित जाति गौरा देवी कन्याधन योजना के वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लेखाभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि अनुसूचित जाति के क्रमश 740 एवं 851 कुल 1591 लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु चयनित किया गया था। सम्प्रेक्षा अवधि (12/2017) तक वर्ष 2015–16 में 23 लाभार्थियों को दूसरी किस्त की धनरशि (रू. 25000 की दर सें) रू 5.75 लाख एवं वर्ष 2016–17 में 604 लाभार्थियों को (रू 50000 की दर से) रू 302.00 का भुगतान किया जाना शेष है। जब कि शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ डी आर बनाये जाने हेतु छात्राओं के खातें में ऑनलाईन धनराशि स्थानान्तरित कर दिया जाने का प्रावधान था। जिसका अनुपालन नही किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि संदर्भित 627 छात्राओं को बंजट के अभाव में वर्तमान तक भुगतान नही किया गया है निदेशालय स्तर पर बजट की मांग की गई है धनराशि प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने से योजना का उदेश्य पूर्णत विफल रहा एवं विभाग द्वारा अलाभान्वित बालिकाओं का योजना का लाभ हेतु शासन स्तर पर पत्राचार करने में विफलता हुई। जिसके फलस्वरूप स्वीकृति के एक से दो वर्ष के पश्चात भी लाभार्थियों योजना का लाभ पाने से वंचित रहे।

अतः गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत 627 लाभार्थियों को रू. 307.75 लाख का भुगतान न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
42	**2009-10**	**01** से **05**	**01 , 02**	शून्य
35	**2011-12**	शून्य	**01**	शून्य
132	**2014-15**	**01**	**01,02,03,04**	**01,02**
18	**2016-17**	शून्य	**01** से **05**	**01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि संदर्भित प्रस्तर की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए तैयार कर उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री जगमोहन सिंह कफोला	जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	श्री` रविन्द्र सिंह सामन्त	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.